न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 –54 / 2020(2020 / 00072)

अनवान : –

1. विक्रमसिंह पुत्र सुशीलकुमार जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. सुशीलकुमार पुत्र जीराम जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
2. सिलोचना पत्नी सुशीलकुमार जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
3. मीनू पुत्री सुशीलकुमार जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री सुरजीत बिजारणियां वादी
श्री मुंशीराम प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांकः 03/09/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 2 एनटीआर के वर्तमान खाता संख्या 103 / 102 के मु0न0 33 के किला न0 13, 14, 17 ता 20, 23, 24 मु0 न0 34 के किला न0 6, 7, 14 ता 17 कुल किता 14 की 3.542 है0 नहरी मय खाला प्रतिवादी संख्या 1 सुशीलकुमार के नाम दर्ज एवं चक 4 डीपीएन के खाता संख्या 32 / 31 के मु0 न0 60 के किला न0 6, 7, 12 ता 19, 22 ता 25 कुल किता 14 की 2.947 है0 नहरी में 2 / 3 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 1 सुशीलकुमार के नाम 1 / 4 वां भाग अर्थात 0. 491 है0 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा जीराम की खातेदारी हुआ करती थी। जीराम के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी सुशीलकुमार ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी सुशीलकुमार ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी सुशीलकुमार के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 सुशीलकुमार को वादी के दादा जीराम से विरासतन प्राप्त हुई है। जो भूमि एकीकरण जमाबन्दी चक 3 एनटीआर सम्वत 2016 खाता संख्या 8 एवं भू प्रबन्ध विभाग चक 4 डीपीएन जमाबन्दी सम्वत 2029 खाता संख्या 12 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संख्या 3 मीनू वादी की बहिन है, जिन्होंने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक में हिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है।

वादी अपने बंटवारा में मिली भूमि को समतल, उपजाऊ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उसे केसीसी ऋण आदि की आवश्कता रहती है इसलिए वादी पारिवारिक समझौता एवं बंटवारा अनुसार अर्जीदावा की मद संख्या 3 में दर्ज चक 2 एनटीआर के वर्तमान खाता संख्या 103/102 के मु0न0 33 के किला न0 13, 14, 17 ता 20, 23, 24 मु0 न0 34 के किला न0 6, 7, 14 ता 17 कुल किता 14 की 3.542 है0 नहरी मय खाला प्रतिवादी संख्या 1 सुशीलकुमार के नाम दर्ज एवं चक 4 डीपीएन के खाता संख्या 32/31 के मु0 न0 60 के किला न0 6, 7, 12 ता 19, 22 ता 25 कुल किता 14 की 2.947 है0 नहरी में 2/3 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 1 सुशीलकुमार के नाम 1/4 वां भाग अर्थात 0.491 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 सुशीलकुमार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार है इसी अनुसार वादी हक हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी विक्रमसिंह पुत्र सुशीलकुमार जाति जाट निवासी खचवाना के साक्ष्य करवाये गये । साक्ष्यवादी में जमाबंदी चक 2 एनटीआर सम्वत 2071–74 खाता संख्या 103/102 प्रदर्श 1, जमाबंदी चक 4 डीपीएन सम्वत 2071–74 प्रदर्श खाता संख्या 32/31 प्रदर्श 2, भूमि एकीकरण जमाबन्दी चक 3 एनटीआर सम्वत 2016 खाता संख्या 8 प्रदर्श 3, भू प्रबन्ध विभाग चक 4 डीपीएन जमाबन्दी सम्वत 2029 खाता संख्या 12 प्रदर्श 4, सरपंच ग्राम पंचायत खचवाना द्वारा सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद, वादी ने रोही मौजा चक 2 एनटीआर के वर्तमान खाता संख्या 103/102 के मु0न0 33 के किला न0 13, 14, 17 ता 20, 23, 24 मु0 न0 34 के किला न0 6, 7, 14 ता 17 कुल किता 14 की 3.542 है0 नहरी मय खाला प्रतिवादी संख्या 1 सुशीलकुमार के नाम दर्ज एवं चक 4 डीपीएन के खाता संख्या 32/31 के मु0 न0 60 के किला न0 6, 7, 12 ता 19, 22 ता 25 कुल किता 14 की 2.947 है0 नहरी में 2/3 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 1 सुशीलकुमार के नाम 1/4 वां भाग अर्थात 0.491 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 सुशीलकुमार के नाम मय खाला रास्ता खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना

साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 1 व 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 एनटीआर के वर्तमान खाता संख्या 103/102 के मु0न0 33 के किला न0 13, 14, 17 ता 20, 23, 24 मु0 न0 34 के किला न0 6, 7, 14 ता 17 कुल किता 14 की 3.542 है0 नहरी मय खाला प्रतिवादी संख्या 1 सुशीलकुमार के नाम दर्ज एवं चक 4 डीपीएन के खाता संख्या 32/31 के मु0 न0 60 के किला न0 6, 7, 12 ता 19, 22 ता 25 कुल किता 14 की 2.947 है0 नहरी में 2/3 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 1 सुशीलकुमार के नाम 1/4 वां भाग अर्थात 0.491 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 सुशीलकुमार के नाम खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमें वादी विक्रमसिंह व प्रतिवादी संख्या 1 सुशीलकुमार दोनों को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 3 मीनू द्वारा त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी सं 1 को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03/09/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— श्री जयसिंह चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 — 54 / 2020(2020 / 00072)

अनवान : —

1. विक्रमसिंह पुत्र सुशीलकुमार जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. सुशीलकुमार पुत्र जीराम जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
2. सिलोचना पत्नी सुशीलकुमार जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
3. मीनू पुत्री सुशीलकुमार जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ जयसिंह चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री सुरजीत बिजारणियां व वकील प्रतिवादीगण श्री मुंशीराम की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 एनटीआर के वर्तमान खाता संख्या 103 / 102 के मु0न0 33 के किला न0 13, 14, 17 ता 20, 23, 24 मु0 न0 34 के किला न0 6, 7, 14 ता 17 कुल किता 14 की 3.542 है0 नहरी मय खाला प्रतिवादी संख्या 1 सुशीलकुमार के नाम दर्ज एवं चक 4 डीपीएन के खाता संख्या 32 / 31 के मु0 न0 60 के किला न0 6, 7, 12 ता 19, 22 ता 25 कुल किता 14 की 2.947 है0 नहरी में 2 / 3 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 1 सुशीलकुमार के नाम 1 / 4 वां भाग अर्थात 0.491 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 सुशीलकुमार के नाम खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमें वादी विक्रमसिंह व प्रतिवादी संख्या 1 सुशीलकुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 3 मीनू द्वारा त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 03/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(जयसिंह चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला—हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़